राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री आलोक रंजन, आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 02 / 2019

दायर दिनांकः–09.05.2019
फैसल दिनांकः–13.11.2019

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

प्रार्थी.....

बनाम

श्री जगदीश चारण उचित मूल्य दुकानदार, सेन्टर वार्ड नंबर 20 सागवाडा, तहसील सागवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0)

अप्रार्थीगण....

उपस्थितिः– 1. विभागीय पेरोकार – प्रर्वतन निरीक्षक
2. वकील विपक्षी – श्री लक्ष्मीलाल जैन

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

– : निर्णय : –

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर की ओर से विरूद्ध विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 20.02.2018 को जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर एवं श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सागवाडा स्थित उचित मूल्य दूकान वार्ड नंबर 20 को निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण राशन की दूकान बंद पाई गई। विपक्षी डीलर को बुलवाकर दुकान खुलवाकर जांच की गई। उक्त उचित मूल्य दुकान डीलर श्री फतेहसिंह वार्ड नंबर 10 का अटेचमेन्ट किया हुआ प्रार्थना–पत्र में अंकित हैं। उक्त वार्ड नंबर 20 की उचित मूल्य की दुकान के पास अन्नपूर्णा भण्डार का संचालन विपक्षी द्वारा व्यवस्थित नहीं किया जाना बताया हैं। साथ ही उक्त सेन्टर के गोदाम मे डीलर द्वारा केरोसीन ड्रमों के साथ सीमेन्ट भरे हुए कट्टे तथा एक चावल का कट्टा जिसमें 29 कि.ग्रा. चावल पाये गये। वक्त निरीक्षण दोनों पोश मशीन (17937 एवं 17939) में स्टॉक 1800 कि.ग्रा. पाया गया किन्तु मौके पर दोनों दूकानों में 3200 कि.ग्रा. गेहूँ पाये गये। इस प्रकार मौके पर स्टॉक के मुकाबले 1400 कि.ग्रा. गेहूँ अधिक पाय गया। उचित मूल्य दूकानदार वार्ड नं. 20 एवं 10 की दोनों दूकानों के पोश मशीन के अनुसार केरोसीन का भौतिक स्टॉक 36.80 लीटर दर्ज था किन्तु गोदाम के भौतिक सत्यापन करने पर 580 लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण स्टॉके के मुकाबले 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। उचित मूल्य की दूकान वार्ड न. 20 में वक्त निरीक्षण सूचना पट्ट अपूर्ण होकर स्टॉक विवरण अपडेट नहीं पाया गया तथा मौके पर दोनों दूकानों पर ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शे एवं खाद्य सुरक्षा की ई–सूची उपलब्ध नहीं पायी गई। विपक्षी डीलर की उचित मूल्य की दूकान वार्ड नं. 20 में स्टॉक के मुकाबले 1400 कि.ग्रा. गेहूँ, 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया जाने एवं 29

Scanned by CamScanner

कि.ग्रा. चावल उक्त दूकान में रखने का कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाने से स्टॉक से अधिक पाये गये 1400 कि.ग्रा. गेहूँ, 544 लीटर केरोसीन एवं 29 कि.ग्रा. चावल को जप्त सरकार कर समीप के डीलर श्री सुभाषचन्द्र उचित मूल्य की दूकान वार्ड नं. 6 को सुपुर्द किया गया। विपक्षी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 की शर्त संख्या 5, 8, 6, 11 व 17(ग) का उल्लंघन करने से उक्त जप्तशुदा खाद्यान्न एवं केरोसीन का आवश्यक वस्तु अधिनियम 6(ए) के तहत राजसात हेतु प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की और से वकालतनामा पेश हुआ एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

विभागीय पेरोकार (प्रवर्तन निरीक्षक) एवं वकील विपक्षी की बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को पुनरावृत्ति की गई एवं वकील विपक्षी ने अपने जवाब को दोहराया।

विभागीय पेरोकार (प्रवर्तन निरीक्षक) ने बहस में कथन प्रकट किये कि दिनांक 20.02.2018 को उचित मूल्य दूकान वार्ड नंबर 20 सागवाडा के वक्त निरीक्षण पोश मशीन में स्टॉक 1800 कि.ग्रा. के मुकाबले मौके पर 3200 कि.ग्रा. गेहूँ पाये जो स्टॉक के मुकाबले 1400 कि.ग्रा. अधिक पाये गये। इसी प्रकार स्टॉक के मुकाबले 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। राशन की दूकान पर बिना अनुमति 29 कि.ग्रा. चावल का कट्टा पाया गया। विपक्षी द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार का संचालन व्यवस्थित नहीं किया जाना बताया तथा स्टॉक विवरण अपडेट नहीं मिलने का विभागीय पेरोकार ने कथन प्रकट किया। विभागीय पेरोकार ने बहस में बताया कि दोनों दूकानों पर मौके पर ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शे नहीं पाये गये तथा रेट लिस्ट भी अपडेट नहीं थी। विपक्षी द्वारा स्टॉक से अधिक 1400 कि.ग्रा. एवं 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया जाना विपक्षी की बदनियती को दर्शाता हैं। विपक्षी का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तो का उल्लंघन की श्रेणी में आता हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर जप्तशुदा 1400 कि.ग्रा. गेहूँ, 544 लीटर केरोसीन व 29 कि.ग्रा. चावल का कट्टा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात करने का अनुरोध किया।

वकील विपक्षी ने जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति कर बहस में बताया कि विपक्षी की माँ 92 वर्ष की वृद्धा हैं तथा वृद्धावस्था के कारण आयेदिन बीमार रहती हैं दिनांक 20.02.2018 को वृद्ध माँ की तबीयत खराब होने से घर गया था। राशन की दुकान का निरीक्षण हेतु जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के आने की फोन द्वारा सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त राशन दूकान पर उपस्थित हुआ।

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि पोश मशीन इन्टरनेट द्वारा संचालित होती है किन्तु इन्टरनेट हर वक्त सही प्राप्त नहीं होता हैं। निरीक्षण की

Scanned by CamScanner

दिनांक को जो जो राशनधारी राशन लेने आये थे, उनको पोश मशीन पर राशन वितरण की कार्यवाही का इन्द्राज कर दिया था। पोश मशीन पर राशनधारियों के राशन वितरण का इन्द्राज की कार्यवाही करने के दौरान घर से वृद्ध माँ की अचानक तबीयत खराब होने का फोन आया जिससे राशनधारियों को राशन वितरण का पोशन मशीन में इन्द्राज कर दिया गया था तथ उन्हें राशन वितरण नहीं किया गया, उन्हें एक घंटे बाद आकर अपना राशन ले जाने को कहकर राशन दूकान बंद करके विपक्षी घर चला गया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने पोश मशीन में राशन वितरण का इन्द्राज हो जाने के कारण स्टॉक के मुकाबले 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसनी अधिक पाया गया। विपक्षी की बदनियती होती तो 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसीन मौके से हटा लेता, किन्तु स्टॉक से अधिक पाया गया राशन दूकान में ही रखा हुआ पाया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी निरीक्षणकर्ता द्वारा वार्ड के राशनधारियों से उक्त संबंध में जांच की गई होती तो अधिक पाये गये गेहूँ एवं केरोसीन की स्थिति स्पष्ट हो जाती। प्रार्थी द्वारा राशनधारियों से बिना जांच किये विपक्षी के विरूद्ध धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बिना आधार के खाद्यान्न जप्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध हैं।

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि जप्त किये गये 29 कि.ग्रा. चावल का कट्टा बाजार से क्रय कर राशन की दूकान पर रखा गया था, जो घरेलू उपयोग का था। अन्नपूर्णा भण्डार के संचालन से निवृत्त होने जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को दिनांक 13.11.2017 को प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया हैं किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। राशन दूकान के गोदाम में ब्ल्यू प्रिन्ट जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में उनके हस्ताक्षर हेतु पेश किये गये है वह विपक्षी को बाद हस्ताक्षर वापस नहीं मिलना बहस में बताया गया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया राशन की दूकान की मरम्मत हेतु सीमेन्ट के कट्टे रखे गये थे। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि पोश मशीन में राशनधारियों के इन्द्राज की कार्यवाही हो जाने एवं उसी दौरान विपक्षी की माँ की अचानक तबीयत बिगड जाने से घर चला गया था, जिससे पोश मशीन में इन्द्राजशुदा राशन दिया जाना शेष था, जिससे स्टॉक के मुकाबले 1400 कि.ग्रा. गेहूँ व 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। इसमें विपक्षी की राशन वितरण में किसी प्रकार की बदनियती नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा मौके पर स्टॉक से अधिक पाये गये गेहूँ एवं केरोसीन पाये जाने की राशनाधारियों से किसी प्रकार की जांच नहीं करने से प्रकरण में स्थिति स्पष्ट नहीं की जाना विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने सी.आर.एल.आर.(राज0) के पृष्ठ संख्या 288 मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच के प्रकरण धेधिया ट्रेडर्स बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 30.01.1995 की नजीर पेश की हैं तद्नुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अपराध के साथ तेल की जप्ती कलक्टर प्रवर्तन इस्पेक्टर द्वारा के समक्ष किये आवेदन का निर्णय नहीं–अपील प्राधिकरण ने भी अभिवाक् को नहीं माना और केवल जप्ती माल की सूची

Scanned by CamScanner

एवं मिमों पर विश्वास किया–अभियोग जप्ती का आदेश विधि अनुसार स्थिर नहीं रखा जा सकेगा और उसे खारिज किया जाता हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज कर जप्तशुदा 1400 कि.ग्रा. गेहूँ, 544 लीटर केरोसीन एवं 29 कि.ग्रा. चावल का कट्टा वापस लौटाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर का ससम्मान पठन किया गया।

उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली व उस पर उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य की दूकान वार्ड नंबर 20 सागवाडा का दिनांक 20.02.2018 को निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दोनों दूकानों के पोश मशीन (17937 व 17939) में दर्ज स्टॉक के मूकाबले मौके पर 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। उचित मूल्य की दूकान पर 29 कि.ग्रा. चावल का कट्टा मौके पर किया गया। स्टॉक से अधिक पाये गये 1400 कि.ग्रा. गेहूँ व 544 लीटर केरोसीन तथा राशन दूकान पर रखे गये 29 कि.ग्रा. चावल के कट्टे को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जप्त सरकार किया गया। उक्त खाद्यान्न की जप्ती के उपरान्त जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर ने उचित मूल्य की दूकान वार्ड नं. 20 के डीलर को अपना पक्ष प्रस्तत करने हेतु दिनांक 30.04.2019 द्वारा नोटिस जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी को विपक्षी डीलर ने दिनांक 24.05.2019 को जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी के जवाब एवं उनके विद्वान अभिभाषक ने तथ्य प्रकट किये कि पोश मशीन में इन्टरनेट की समस्या के कारण राशनधारियों का एक साथ पोश मशीन में राशन वितरण दर्ज करने की कार्यवाही की गई तथा राशनधारियों को सिर्फ गेहूँ एवं केरोसीन वितरण किया जाना था। विपक्षी के जवाब एवं उनके विद्वान अभिभाषक के उक्त कथन (After Tought) खाद्यान्न की जप्ती के बाद उत्पन्न किये गये विचार हैं। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नजीर में उनको पर्याप्त अवसर एवं बिना सुने कार्यवाही किये जाने बाबत है वह इस प्रकरण में उनकी सहायता नहीं करती हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर की इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली के अवलोकन से पर्याप्त अवसर दिये जाना पाया गया। विपक्षी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा दूकान का संचालन में अनियमितता बाबत पेरोकार सरकार द्वारा कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। विपक्षी की राशन की दूकान पर वक्त निरीक्षण स्टॉक से अधिक 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसीन पाया जाना उनकी बदनियति को दर्शाता हैं। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 की शर्तो का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा 1400 कि.ग्रा. गेहूँ व 544 लीटर केरोसीन को राजसात किया जान उचित हैं।

Scanned by CamScanner

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। जप्तशुदा 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसीन का राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जप्त किये गये 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसीन मय ड्रम सुपूर्दकर्ता से प्राप्त कर नजदीकी उचित मूल्य की दूकान के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वितरण कराकर उससे प्राप्त राशि सक्षम न्यायालय के निर्णय तक अपने कार्यालय में अमानत के रूप में जमा रखी जावे। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त केरोसनी तेल का उपरोक्तानुसार निस्तारण करावें। जप्तशुदा 29 कि.ग्रा. चावल का कट्टा सुपूर्दकर्ता से प्राप्त कर डीलर को वापस लौटाया जावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद नंबर से कम होकर फैसल में शुमार हो।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Alok Ranjan
Date: 2019.12.16 16:20:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: